रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3557] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941
No. 3557] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3939(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री के. ए. एस. जेन्निसन, सक्षम प्राधिकारी (आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट संख्या 33, कनका दुर्गा ऑफिसर्स कॉलोनी, गुरुनानक नगर मेन रोड, विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला: वेस्ट गोदावरी			राज्य: आन्ध्र प्रदेश		
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कामावरपुकोटा	मंकेनापल्लि	51/7	00	04	45

[फा. सं. आर.-11025(11)/252/2017-ओ-आर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

S.O. 3939(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. K.A.S. Jennyson, Competent Authority (Andhra Pradesh), Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, Plot No. 33, Kanaka Durga Officer's Colony, Gurunank Nagar Main Road, Vijayawada-520008 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : West Godavari **State : Andhra Pradesh**

Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kamavarapukota	Mankenapalli	51/7	00	04	45

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3940(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री के. ए. एस. जेन्निसन, सक्षम प्राधिकारी (आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट संख्या 33, कनका दुर्गा ऑफिसर्स कॉलोनी, गुरुनानक नगर मेन रोड, विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला: कृष्णा		राज्य: आन्ध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जी.कोन्डूरू	कोन्डूरू	43/5	00	05	26
जी.कोन्डूरू	वेंकटापुरम	65/2	00	29	94
पेनुगंचिप्रोलु	पेनुगंचिप्रोलु	554	00	43	30
विस्संनापेट	तेल्लदेवरपल्लि	385	00	28	73

[फा. सं. आर.-11025(11)/252/2017-ओ-आर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

S.O. 3940(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri. K.A.S. Jennyson, Competent Authority (Andhra Pradesh), Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, Plot No. 33, Kanaka Durga Officer's Colony, Gurunank Nagar Main Road, Vijayawada-520008 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : Krishna **State : Andhra Pradesh**

Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G. Konduru	Konduru	43/5	00	05	26
G. Konduru	Venkatapuram	65/2	00	29	94
Penuganchiprolu	Penuganchiprolu	554	00	43	30
Vissanapet	Telladevarapalli	385	00	28	73

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3941(अ).—केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केंद्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस (21) दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के संबन्ध में श्री के. ए. एस. जेन्निसन, सक्षम प्राधिकारी (आंध्र प्रदेश), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पाइपलाइन प्रभाग), पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना, प्लॉट संख्या 33, कनका दुर्गा ऑफिसर्स कॉलोनी, गुरुनानक नगर मेन रोड, विजयवाड़ा-520008, आंध्र प्रदेश राज्य को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : ईस्ट गोदावरी		राज्य : आन्ध्र प्रदेश			
मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जग्गम्पेटा	राजपुड़ी	42	01	06	50
कोरुकोंडा	कनुपूरु	515	0	20	20
		516	0	32	37
गोल्लप्रोलु	विजयनगरम	576	00	03	65
प्रत्तिपाडू	राचपल्ली	273	00	10	95

[फा. सं. आर.-11025(11)/252/2017-ओ-आर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

S.O. 3941(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products in the state of Andhra Pradesh a pipeline should be laid for implementing Paradip-Hyderabad Pipeline Project under Paradip-Hyderabad Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, who is interested in the land described in the said schedule, may submit objection in writing to Shri K. A. S. Jennyson, Competent Authority (Andhra Pradesh), Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Paradip Hyderabad Pipeline Project, Plot No. 33, Kanaka Durga Officer's Colony, Gurunanak Nagar Main Road, Vijayawada-520008 within twenty one (21) days from the date on which the copies of this notification issued under Sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

District : East Godavari			State : Andhra Pradesh		
Name of Mandal	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jaggampeta	Rajapudi	42	01	06	50
Korukonda	Kanupuru	515	00	20	20
		516	00	32	37
Gollaprolu	Vijayanagaram	576	00	03	65
Prathipadu	Rachapalli	273	00	10	95

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3942(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2098 तारीख 06.09.2017 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 36, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख सितंबर 3 – सितंबर 9, 2017, अधिसूचना संख्या का.आ. 440 तारीख 22.03.2019 जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 13 , भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख मार्च 24 - मार्च 30, 2019 में किया गया है। इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट आंध्रप्रदेश राज्य के ए.कोंडूरु, मैलवरम, रेड्डीगूडेम, विस्संनापेट और जी. कोन्डूरू मंडल कृष्णा जिला की भूमि में, ओडीशा राज्य में पारादीप से तेलंगाना राज्य में हैदराबाद तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "पारादीप-हैदराबाद पाइपलाइन परियोजना" के संबंध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी नें केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला: कृष्णा **राज्य: आन्ध्र प्रदेश**

मंडल का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ए.कोंडूरु	माधवरम वेस्ट	194	00	04	05
मैलवरम	दासुल्लापालेम	108/1	00	09	71
रेड्डीगूडेम	रुद्रवरम	263/1	00	02	02
रेड्डीगूडेम	मुचिनापल्ली	104/1	00	16	10
विस्संनापेट	तेल्लदेवरपल्लि	337/1	00	23	97
		337/2	00	36	93
		339	00	33	70
		384	00	28	71
		85	00	28	77
जी.कोन्डूरू	चेवुटुरु	58/1B1C	00	03	71
		54/2A	00	13	97
		54/3A	00	08	14
		53/2C	00	44	30

		50/3	00	17	72
जी.कोन्डूरू	कोन्डूरू	45/1	00	09	28
		47	00	76	35

[फा. सं. आर.-11025(11)/252/2017-ओ-आर-I/ई-21033]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2019

S.O. 3942(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Gazette of India No. 36 Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated September 3–September 9, 2017 *vide* S.O. Number 2098 dated 06.09.2017, Gazette of India No. 13 Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated March 24–March 30, 2019 *vide* S.O. Number 440 dated 22.03.2019 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in A. Konduru, Mylavaram, Reddigudem, Vissanapet, G. Konduru mandals of Krishna district of Andhra Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of petroleum products from Paradip in the State of Odisha to Hyderabad in the State of Telangana by the Indian Oil Corporation Limited for implementing the "Paradip–Hyderabad Pipeline Project".

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public. And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted his report of Central Government.

And whereas, the Central Government after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in India Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District: Krishna			**State: Andhra Pradesh**		
Name of Mandal	**Name of Village**	**Survey No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Square Metre**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
A. Konduru	Madhavaram West	194	00	04	05
Mylavaram	Dasullapalem	108/1	00	09	71
Reddigudem	Rudravaram	263/1	00	02	02
Reddigudem	Muchinapalli	104/1	00	16	10
Vissanapet	Telladevarapalli	337/1	00	23	97

		337/2	00	36	93
		339	00	33	70
		384	00	28	71
		85	00	28	77
G. Konduru	Chevuturu	58/1B1C	00	03	71
		54/2A	00	13	97
		54/3A	00	08	14
		53/2C	00	44	30
		50/3	00	17	72
G. Konduru	Konduru	45/1	00	09	28
		47	00	76	35

[F. No. R-11025(11)/252/2017-OR-I/E-21033]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.04 13:30:47 +05'30'